न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 125/2024(GCMS : 2024/181)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व मं ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ाखा कार्यालय 4-ई-8-जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हॉस्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. **हीरा सिंह** पुत्र श्री मलकीत सिंह निवासी वार्ड नं. 9, नजदीक हरीश मैडिकल स्टोर, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **कुलविन्द्र कौर** पत्नी श्री हीरा सिंह निवासी वार्ड नं. 9, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **मलकीत सिंह** पुत्र श्री तारा सिंह निवासी वार्ड नं. 9, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता सुश्री मोनिका नागपाल ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण वीरा सिंह, कुलविन्द्र कौर एवं मलकीत सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 6.00/-लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 25.12.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 10.05.2024 को 5,95,692/- रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मलकीत सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 23, बुक नं. 1, (साईज 38 गुणा 40 फीट = 1520 सक्वायर फीट) पदमपुर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। जिससे विदित है कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण वीरा सिंह, कुलविन्द्र कौर एवं मलकीत सिंह** को ऋण सुविधा के रूप में 6.00/- लाख रूपये **(अखये रूपये छः लाख मात्र)** की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

स्वीकृति दिनांक 25.12.2019 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मलकीत सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति **पट्टा नं. 23, बुक नं. 1, (साईज 38 गुणा 40 फीट = 1520 सक्वायर फीट) पदमपुर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.02.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों **पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी मलकीत सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 23, बुक नं. 1, (साईज 38 गुणा 40 फीट = 1520 सक्वायर फीट) पदमपुर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा [illegible] के जारी नोटिस 10.05.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार [illegible] 10.05.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14.05.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **मलकीत सिंह** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **मलकीत सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 23, बुक नं. 1, (साईज 38 गुणा 40 फीट = 1520 सक्वायर फीट) पदमपुर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट

श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:21 IST
Reason: SelfAttested